Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मिठूलाल बनाम **हरिशंकर वगैराह**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (विविध)** नं0 **293** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी ने पूर्व में दिनांक 09.03.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी मिठूलाल पिता सुखलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नपानिया का देहान्त दिनांक 01.03.2022 को हो चुका है। वकील प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली हैं। रिकार्ड पर लिया जाता है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी मूल अपील संख्या 008/2021 उनवानी मिठूलाल बनाम हरिशंकर वगैराह कार्यवाही अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के निर्णय दिनांक 14.09.2021 को पुनः रेस्टोर किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2022 अनुसार प्रार्थी फौत हो चुके है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 निष्प्रभावी हो चुका है। अतः प्रार्थी के फौत हो जाने से इस प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलत् प्रार्थी के फौत हो जाने से इस प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/D- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 12.04.2022	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official